।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

राजस्व अपील संख्या 19/2014

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
01. भजनाराम पुत्र श्री प्रहलादराम जाति विश्नोई 02. भीयाराम पुत्र श्री हरलालराम जाति विश्नोई 03. नेनाराम पुत्र श्री हरूराम जाति विश्नोई 04. अणदाराम पुत्र श्री हरूराम जाति विश्नोई 05. जोराराम पुत्र श्री हरूराम जाति विश्नोई सर्वे निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		01. नायब तहसीलदार पोकरण जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :

1. श्री अब्दुल रहमान मेहर वकील अपीलान्ट
2. पैरोकार राज वास्ते रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय दिनांक : 29.12.2015

1. वकील अपीलान्टगण ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न्यायालय नायब तहसीलदार पोकरण के निर्णय मुकदमा संख्या 1/2014 सरकार बनाम हीराराम वगैरह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 27.06.2014 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की, जो अपास्त योग्य है। अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलान्टगण द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप अपील न्यायालय में सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये गये।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट सहित 21 व्यक्तियों के विरूद्ध संयुक्त रूप से न्यायालय नायब तहसीलदार पोकरण द्वारा हल्का पटवारी रिपोर्ट पर ग्राम खेतोलाई के खसरा नम्बर 401 रकबा 4.16 बीघा, किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर बाड़ व तारबंदी करके सम्वत 2071 में राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान उपस्थित होकर जवाब पेश कर अतिक्रमण नहीं होना वर्णित किया। न्यायालय नायब तहसीलदार पोकरण ने अपीलांट सहित 21 गैर सायलान को अतिक्रमण करने का दोषी करार देते हुए मौके पर तारबंदी, पत्थरों के टुकड़े जब्त कर नीलाम करने का निर्णय दिया, अतिक्रमित रकबे के लगान का 50 गुना 22 रूपये जुर्माना गैरसायलान पर आरोपित कर मौके पर से बेदखली का निर्णय दिया. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान, न्याय सिद्धान्तों के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल करने से निर्णय अपास्त योग्य हैं।

3. पटवारी रिपोर्ट में कही खुलासा नहीं है कि किस अपीलान्ट ने कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया है कि किस हदूद व किस हिस्से में कैसे अतिक्रमण किया हे, कोई वर्णन नहीं होने से ऐसी रिपोर्ट वेग होने से विश्सनीय नहीं हाने से अस्वीकार योग्य है। पटवारी के बयान नहीं हुए, राजस्व निरीक्षक के बयान नहीं हुए, अतिक्रमण किसने, कितना, कैसे किया। किस हिस्से में किया। बयान नहीं होने से अपूर्ण व अविश्वसनीय पटवारी रिपोर्ट पर अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। पटवारी रिपोर्ट व संलग्न नक्शे में तारबंदी या पत्थरों के टुकड़े मौके पर होना तारबंदी कर कब्जा करना, टुकड़े लगाकर तारबंदी करना साक्ष्य से साबित व प्रमाणित नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर तारबंदी होना तत्थरों के टुकड़े होना सरासर गलत रूप से माना है। रिकार्ड के विपरीत साक्ष्य बनाकर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। दिनांक 27.06.2014 को सिर्फ 7 गैर सायलान उपस्थित

हुए 7 के अंगुठे हस्ताक्षर है, जबकि प्रकरण 21 गैर सायलान के विरूद्ध दर्ज है, निर्णय 21 गैर सायलान के लिए किया गया है ऐसे में 14 गैर सायलान को तलब किये बिना, उनको मनमाने ढंग से अतिक्रमी मानकर दोषी मानकर जुर्माना आरोपित किया जो निर्णय विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का है। हल्का पटवारी खेतोलाई की रिपोर्ट के अन्तर्गत ग्राम खेतोलाई के खसरा नम्बर 401 रकबा 4.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर बाड़ व तारबंदी करके सम्वत् 2071 में राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया है। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार पोकरण द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जुर्माना से दण्डित कर बेदखली की कार्यवाही की गई है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि मामले में अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय प्रावधानों के तहत नहीं किया गया है न ही समस्त पक्षकारान को सुना गया है इस कारण से अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है, जिसके फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

5. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम खेतोलाई के खसरा नम्बर 401 के संबंध में नायब तहसीलदार पोकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2014 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को इन निर्देशों के साथ नायब तहसीलदार पोकरण को प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान को सुना जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पालना की जाकर प्रकरण एक माह की अवधि में निर्णत करने की कार्यवाही नियमानुसार करें। पक्षकार अपना – अपना व्यय स्वयं वहन करें।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 29.12.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर